वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
प्रबंध मंडल की 113 वीं बैठक, दिनांक 30 दिसंबर 2025
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 113वीं बैठक दिनांक 30 दिसंबर , 2025 को मध्यान्ह् 12.15 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर ऑनलाईन एवं आर्फलाइन मोड पर आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1. प्रो0 बी0एल0 वर्मा कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला वि0वि0,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0 जे0पी0 शर्मा पूर्व कुलगुरू, सुखाडिया वि0वि0,उदयपुर।	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
3. प्रो0 सुमिता कच्छावा आचार्य, वनस्पति विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर।	सदस्य
4. श्री अनिल कुमार अग्रवाल संभागीय आयुक्त, कोटा। (प्रतिनिधि. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,राज0सरकार)	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
5. प्रो0 नवल किशोर इंदिरा गांधी रा0मु0 वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
6. प्रो0 बी0 अरूण कुमार निदेशक, योजना विकास एवं संकाय वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7. प्रो0 सुबोध कुमार , आचार्य (पत्रकारिता) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
8. डॉ0 मुकेश कुमार शर्मा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग। (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार)	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
9. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा निदेशक, क्षे.के.,वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
10. डॉ0 पुरवा अग्रवाल, R.Ac.S. कार्यवाहक कुलसचिव एवं नियंत्रक (वित्त) व0म0खु0वि0वि,कोटा।	सचिव

माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए पूर्व कुलगुरू प्रो0 कैलाश सोडाणी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति सदन की ओर आभार प्रकट करने के उपरांत कार्यसूची विवरण में उल्लेखित प्रस्तावों पर चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

113/01 प्रबंध मंडल की 112 बैठक दिनांक 05 मई 2025 के कार्यवाही विवरण एवं की गई अनुपालना की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 112 बैठक की अनुपालना पर चर्चा प्रारंभ करते हुए निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों के सम्बन्ध में हुए निर्णय संख्या 112/04 पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही करने का निर्णय किया गया बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा से इस प्रकरण में तत्काल निर्णय करवाने का अनुरोध किया गया।

निर्णय संख्या 112/08 में सहायक कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण पूर्व बैठक के निर्णय को ही यथावत रखा जाए।

तदुपरांत प्रबंध मंडल की 112वी बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

113/02 विद्या परिषद की 72 वीं बैठक दिनांक 10 दिसंबर 25 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण पर चर्चा उपरांत निर्णय संख्या 72/09 में शोध कार्य में आंतरिक शिक्षकों को मानदेय प्रदान किए जाने का निर्णय करते हुए विद्या परिषद की 72वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

113/03 आयोजना मंडल की 19वीं बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में प्रो0 जे0 पी0 शर्मा द्वारा नव प्रस्तावित भवनों के निमार्ण की अनुमानित लागत के बारे में जानकारी चाही गई, एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा प्रस्ताव को वित्त समिति में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कुलसचिव द्वारा चर्चा के सम्बन्ध में सदन को जानकारी दी गई कि अनुमानित लागत की गणना करवा कर बजट प्रावधान के लिए वित्त समिति के अनुमोदन उपरांत प्रकरण पुनः प्रबंध मंडल में प्रस्तुत किया जाएगा तथा भवनों हेतु स्वीकृति विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के प्रावधान संख्या 20 A के उपबिंदु (g) के अंर्तगत राज्य सरकार से भी प्राप्त की जाएगी। उक्त जानकारी के उपरांत आयोजना मंडल के कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

113/04 वित्त समिति की 70 वीं दिनांक 23 दिसंबर 2025 के कार्यवाही विवरण , वित्तिय वर्ष 2025–26 के संशोधित आय–व्यय अनुमान तथा वित्तिय वर्ष 2026–27 के लिए आय/प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमोनों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

वित्त समिति के कार्यवाही विवरण, तथा कार्यवाही विवरण में उल्लेखित वित्तिय वर्ष 2025–26 के संशोधित आय–व्यय अनुमान तथा वित्तिय वर्ष 2026–27 के लिए आय/प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमानों वर्ष 2024–25 की बैलेंस शीट का अनुमोदन किया गया।

[signature]

113/05 वित्त समिति में सदस्य नियुक्त किए जाने सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि।

वित्त समिति में सदस्य मनोनीत किए जाने सम्बन्धी आदेश संख्या आदेश संख्या 158 दिनांक 15.11.25 एवं आदेश संख्या 211 दिनांक 10.12.25 की पुष्टि की गई।

113/06 अतिरिक्त कुलसचिव पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवानें बाबत।

अतिरिक्त कुलसचिव पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इस पद के सम्बन्ध में प्रावधानों की जानकारी चाहने पर कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस पद के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, व पद सृजन बाबत् प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है तथा तीन विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त कुलसचिव कार्यरत है।

चर्चा उपरांत पूर्व बैठक के निर्णय संख्या 110/04 के क्रम में उप कुलसचिव के एक पद को क्रमोन्नत कर पद अतिरिक्त कुलसचिव के रूप में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण सम्बन्धी पत्रावली वर्तमान में वित्त विभाग को निर्णय हेतु प्रेषित की हुई है, पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय के बाद आगामी कार्यवाही की जावे। पद क्रमोन्नत के स्थान पर दो नवीन पद सृजन के संशोधित प्रस्ताव प्रेषण के प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही बाबत् निर्णय नहीं हो सका,परंतु दो अतिरिक्त कुलसचिव के पद सृजन प्रस्ताव की युक्तियुक्तता पर सदस्यों द्वारा विपरीत अभिमत भी प्रकट नहीं किया गया।

113/07 विश्वविद्यालय में खेल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।

खेल बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान कुलगुरू महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि NAAC की अच्छी Grade प्राप्त करने के लिए खेल बोर्ड का गठन अनिवार्य है।
उक्त जानकारी के बाद खेल बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 2018 में वर्णित पदनामों के अनुरूप पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित जाए। बोर्ड में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के रूप में शिक्षकों/ अधिकारियों को नामित (बिना किसी मानदेय/ बिना किसी अति. भत्ते) करने के लिए माननीय कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया, नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष रखे जाने का निर्णय भी किया गया।

तत्पश्चात माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा पूर्व सदस्या डॉ0 रश्मि बोहरा को धन्यवाद देते हुए प्रबंध मंडल के सदस्यों को अपने सुझाव प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सुझाव विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

तदुपरांत आसन को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव
एवं सचिव
प्रबंध मंडल